महत्वपूर्ण एवं खास

कोर्ट में चाकू लेकर घूम रहा युवक पकड़ाया

रायपुर (आरएनएस)। राजधानी के कोर्ट परिसर में चाकू लेकर घूम रहे एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है तथा उसके पास से चाकू बरामद किया है। मामले में आरोपी युवक के खिलाफ धारा 25, 27 आम्र्स एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार सिविल लाईन पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक न्यायालय परिसर केंटीन के पास जेब में चाकू लेकर घूम रहा है। सूचना पर तत्काल थाना सिविल लाईन पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहूंचकर शेख अमान नामक व्यक्ति को घेराबंदी कर पकड़ा गया। जिसके कब्जे से 01 नग लोहे का चाकू जप्त कर आरोपी शेख अमान निवासी ईदगाह भाठा के विरूद्ध थाना सिविल लाईन में धारा 25, 27 आम्र्स एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया है।

माओवादी संगठन कुतुल एरिया कमेटी के एक नक्सल दंपति ने किया आत्मसमर्पण

नारायणपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ के नक्सली जिलों में नक्सलियों के आतंक के बीच नारायणपुर पुलिस के प्रयास और शासन की नीतियों से प्रभावित होकर प्रतिबंधित माओवादी संगठन कुतुल एरिया कमेटी के एक नक्सल दंपति ने पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार के समक्ष बिना हथियार के आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पित नक्सलियों को शासन की नक्सल उन्मूलन नीति के तहत 25-25 हजार रूपये प्रोत्साहन राशि का चेक प्रदान किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार, संगठन के सप्लाई टीम का कमांडर सोनवा उर्फ डोसेल सलाम और कोडलियार जनताना सरकार स्कूल विभाग सदस्या आरती सलाम ने आत्मसमर्पण किया है। सोनवा संगठन में पिछले 13 साल से और आरती पिछले 9 साल से काम कर रही थी। अब दंपत्ति पुर्नवास नीति के तहत नया जीवन शुरू कर रहे हैं।

अकाशीय बिजली की चपेट में आकर सीआरपीएफ के दो जवानों की मौत

दंतेवाड़ा (आरएनएस)। आकाशीय बिजले की चपेट में आकर सीआरपीएफ 111 बटालियन के दो जवानों की मौत होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि थाना बारसूर क्षेत्रांतर्गत् बारसूर में संचालित नक्सल विरोधी प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण के दौरान लगभग तीन बजे आकाशीय बिजली गिरी। जिसकी चपेट में सीआरपीएफ 111 बटालियन के दो जवान कांस्टेबल महेंन्द्र कुमार निवासी प्रयागराज उत्तर प्रदेश तथा कांस्टेबल एस. शहुअट आलम निवासी साहिबगंज झारखंड आ गये और गंभीर रूप से घायल हो गये। घायल जवानों को ईलाज हेतु तत्काल एम्बुलेंस में जिला अस्पताल दंतेवाड़ा पहुंचाया गया था। जहां डॉक्टरों द्वारा जांच के बाद दोनों का मृत घोषित कर दिया गया। जवानों के परिजनों को सूचित कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

सायबर ठगों के होल्ड खातों से पीड़ितों को लौटाये गये साढ़े पांच लाख रूपये

रायपुर (आरएनएस)। साईबर ठगी की घटना को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर डॉ. संतोष सिंह के द्वारा साईबर सेल/क्राईम सहित सभी थाना प्रभारियों को साइबर ठगी के मामलों को गंभीरता से लेकर त्वरित कार्यवाही करने ,एवम पीड़ित को ठगी की रकम वापस कराने हेतु निर्देशित किया गया है। जिस पर सभी थाना प्रभारियों द्वारा साइबर ठगी के मामले में थाने में रिपोर्ट प्राप्त होने पर सेंट्रल गवर्मेंट के पोर्टल मे रिपोर्ट कार्यवाही किया जाकर ठगी की रकम होल्ड कराई जा कर होल्ड रकम वापस करने संबंधी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में थाना सिविल लाईन को आवेदक अजय यादव, राजकुंवर, बॉबी बग्गा, वीरेन्द्र कुमार, रवि भवानी का अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध साईबर ठगी किये जाने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुआ था जिस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए ठगी रकम को अलग अलग खातों में होल्ड कराया जाकर पीड़ितों को कुल 5,31,126/- रूपये वापस कराया गया है। यह कार्यवाही लगातार जारी है।

पांच अंतर्राज्जीय गांजा तस्कर पकड़ाए, 45 किलोग्राम गांजा जब्त

दुर्ग | आरएनएस

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं गृह मंत्री विजय शर्मा के निर्देश पर पुलिस ने गांजा तस्करों पर बड़ी कार्यवाही करतेह हुए अंतर्राज्यीय गिरोह के पांच सदस्यों को भिलाई खुर्सीपार से गिरफ्तार किया है तथा उनके पास से 45 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। जब्त गांजे की कीमत लगभग 4.5 लाख रूपये आंकी गई है।

मिली जानकारी के अनुसार गुरूवार को पुलिस को मुखबीर से सूचना मिली कि पिन्टू कुमार साहनी जो कि उड़िसा से अवैध रूप से अवैध धन लाभ करने हेतु गांजा जैसे मादक पदार्थ लाकर जी सरोजनी के मकान के पास एक अन्य मकान गणेश मंदिर के पास बालाजी नगर खुर्सीपार में लाकर रखा है और पिंटू नामक लडक़ा जिसकी हाईट छोटी है और वह नीला कलर का लोवर जिसमें सफेद रंग का पटटी है और भूरा कलर का टी शर्ट पहना है जो उक्त गांजा की रखवाली कर गांजा को अवैध रूप से गांजा बिक्री पिन्टू कुमार साहनी एवं जी सरोजनी दोनो मिलकर कर रहे है। कि सूचना वरिष्ठ अधिकारियो को दी गई जिस पर वरिष्ठगण पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज दुर्ग राम गोपाल गर्ग के निर्देशन पर ,पुलिस अधीक्षक ,दुर्ग ,जितेन्द्र शुक्ला, के मार्गदर्शन पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही करने आदेश प्राप्त होने पश्चात उप निरीक्षक युवराज साहू हमराह हर्ष देवांगन, अमन शर्मा एवं वैशाली नगर के महिला आरक्षक ममता वासनीक ,महिला आरक्षक श्रेया राजपूत एवं गवाहो के साथ समस्त आवश्यक किट सामाग्री सील चपडा सहित तस्दीक एवं वैधानिक कार्यवाही हेतु गणेश मंदिर के पास बालाजी नगर खुर्सीपार पहुच कर रेड कार्यवाही किये मौके पर उपस्थित महिला एवं पुरूष से पुछताछ करने पर अपना नाम जी सरोजनी तथा पिंटू कुमार साहनीं बताया। जांच करने पर जी सरोजनी के अपने मकान के अंदर कब्जे में रखे चार काला कलर का जिसमें पृथक पृथक अखबार के कागज के पुडिय़ा मे लपेटा हुआ गांजा मादक द्रव्य पदार्थ क्रमश: 08 किलो 525 ग्राम एवं 09 किलो 80 ग्राम , 08 किलो 530 ग्राम , 06 किलो 010 ग्राम गांजा जैसा मादक द्रव्य पदार्थ एवं पिन्टू कुमार साहनी से 03 नग मोबाईल फ ोन एवं वही पर रखे प्लास्टिक बोरी में अखबार के कागज के पुडिया मे लपेटा हुआ गांजा मादक द्रव्य पदार्थ कुल 05 किलो 830 ग्राम एवं एक पल्सर मोटर सायकल क्रमांक सीजी 07 एजे 6067 जप्त की गई।दोनो के मेमोरेण्डम पर से अजय साहनी, अजय प्रसाद एवं ऐबी साहनी जो गांजा लेकर अपने चार पहिया वाहन दो सफेद रंग के कार में गांजा रखा है इसमें सफेदा एवं मार्कर पेन से नाम और सरनेम का प्रथम अक्षर लिखा हुआ बताया पिन्टू कुमार साहनी से बारिकी से पूछताछ करने पर बताया कि वह उड़िसा के किसी व्यक्ति से गांजा खरीदता है एक ट्रीप का 06 लाख रूपया देना बताये । एबी साहनी और अजय साहनी स्कोडा कार क्रमांक सीजी 04 केपी 4604 में उड़ीसा से विभिन्न नम्बर प्लेट बदलकर गाड़ी चलवाते थे एबी साहनी एवं अजय साहनी के द्वारा अपने डिक्की में रखे गांजा को निकाल कर देने पर एक आशिकी पान मसाला झोले में जिसमें ऐ0बी0 साहनी व अजय साहनी झोले में रखा अखबार में लपेटा हुआ गांजा जैसे पदार्थ निकाल कर पेश किया तौल करने पर 03 किलो 370 ग्राम गांजा एवं 02 नग मोबाईल फ ोन मिला एवं फ ाक्स वेगन कार क्रमांक सीजी 04 एचसी 2080 में बैठे अजय प्रसाद के द्वारा अपने डिक्की में रखे गांजा को निकाल कर देने पर एक विमल पान मसाला झोले में रखा अखबार में लपेटा हुआ गांजा जैसे पदार्थ निकाल कर पेश करने पर 03 किलो 380 ग्राम गांजा झौला सहित अखबार में लपेटा हुआ गांजा मिला।

दो नग कार कीमती 12 लाख एक पल्सर मोटर सायकल क्रमांक सीजी 07 ऐजे 6067 कीमती 01 लाख रूपये जुमला कीमती 17.5 लाख रूपये को गवाहो के समक्ष जप्त किया गया आरोपियो को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। दुर्ग जिले में पहली बार गांजा का ''फार्वड लिंक'' एवं ''बैकवर्ड लिंक'' स्थापित कर आरोपियो को गिरफ्तार किया गया।

आरोपियो के विरूद्ध पूर्व में भी एनडीपीएस के मामले दर्ज है। पिन्टू साहनी के खिलाफ एक मामला एवं जी. सरोजनी के खिलाफ दो मामले दर्ज है।

जिले में अवैध शराब पर पुलिस की सख्त कार्यवाई

जूटमिल क्षेत्र में 60 पाव शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार

- तमनार पुलिस ने अवैध शराब तस्करी कर रहे आरोपी को पकड़ा, 20 लीटर महुआ शराब और बाइक जब्त
- चक्रधरनगर पुलिस की कार्रवाई में शराब तस्करी करते आरोपी गिरफ्तार, 15 लीटर महुआ शराब और बाइक जब्त

रायगढ। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देश पर रायगढ़ जिले में अवैध शराब पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। कल, 05 सितंबर 2024 को जूटमिल, तमनार और चक्रधरनगर क्षेत्रों में पुलिस ने प्रमुख शराब रेड कार्रवाई को अंजाम दिया:

1. जूटमिल क्षेत्र में एक्टिवा में शराब तस्करी करते युवक गिरफ्तार :

थाना प्रभारी निरीक्षक मोहन भारद्वाज के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बेनीकुंज तिराहा के पास घेराबंदी कर एक्टीवा वाहन (क्र. CG-13-AT-1491) पर शराब तस्करी कर रहे आरोपी सानू महंत (24) को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 60 पाव देशी प्लेन शराब जब्त की गई। आरोपी पर धारा 34(2) और 59(क) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। रेड कार्रवाई में एएसआई राजेंद्र पटेल, हेड कांस्टेबल सतीश पाठक, रामनाथ बनर्जी, और कांस्टेबल नरेश रजक, तरुण माहिलाने शामिल थे।

2. तमनार में नदी पुल पर ऊपर नाकेबंदी कर शराब तस्कर को पकड़ा :

थाना प्रभारी निरीक्षक आर्शीवाद राहटगांव के नेतृत्व में तमनार पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जरेकेला-नावापारा के बीच नदी पुल पर नाकेबंदी की। पुलिस ने मोटरसाइकिल पर अवैध शराब ले जा रहे वरूण सिदार (31) को पकड़ा। आरोपी के पास से 20 लीटर हाथ भट्ठी का बना महुआ शराब और एक मोटरसाइकिल (बजाज CT-100) जप्त की गई। आरोपी पर धारा 34(2) और 59(क) आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। इस कार्रवाई में प्रधान आरक्षक संतोष कुर्रे, आरक्षक अनूप मिंज, भीष्मदेव सागर, और अमरदीप एक्का शामिल थे।

3. चक्रधरनगर क्षेत्र में बाइक पर शराब तस्करी करता युवक गिरफ्तार, नई बाइक और अवैध शराब जप्त :

थाना चक्रधरनगर पुलिस ने गोवर्धन कचरा पुलिया के पास घेराबंदी कर आरोपी रूपलाल उरांव (27) को गिरफ्तार किया। आरोपी महुआ शराब की तस्करी कर रहा था। आरोपी के कब्जे से 15 लीटर कच्ची महुआ शराब और एक मोटरसाइकिल जप्त की गई। आरोपी के खिलाफ धारा 34(2), 59(क) आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। रेड कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक प्रशांत राव के साथ प्रधान आरक्षक सुमन कुमार चौहान, आरक्षक चंद्र कुमार बंजारे, मिनकेतन पटेल और किशनो कुमार उरांव शामिल थे।

ओवररेट पर शराब बेचने वाले 57 कर्मचारियों को बर्खास्त कर किया गया ब्लैक लिस्ट

रायपुर | आरएनएस

ओवररेट पर शराब बेचने के मामले में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 57 कर्मचारियों को बर्खास्त कर उन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया है। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई।

जिला प्रशासन को लगातार मिल रहे ओवररेट में शराब बेचने की शिकायत पर कलेक्टर ने कार्रवाई करने के निर्देश दिया। कलेक्टर ने अलग-अलग टीम बनाई, इन टीमों ने जिले के अलग-अलग देशी और विदेश शराब दुकानों पर जाकर शराब खरीदी और यह पाया कि दुकानों पर शासन द्वारा निर्धारित से अधिक रेट पर शराब बेची जा रही है। शिकायतों की पुष्टि होने के बाद आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए संबंधित दुकानों में काम करने वाले 57 लोगों को बर्खास्त कर दिया है। ओवररेट शराब बेचने के मामले में कलेक्टर के निर्देश पर आबकारी विभाग ने कम्पोजिट तेदुंवा, विदेशी मदिरा दुकान स्टेशन रोड, कम्पोजिट नेवरा, विदेशी मदिरा दुकान व्यास तालाब, विदेशी मदिरा दुकान मेटल पार्क, विदेशी मदिरा दुकान कुर्रा, विदेशी मदिरा दुकान लालपुर, विदेशी मदिरा दुकान लाभांडी, देशी मदिरा अभनपुर, विदेशी मदिरा दुकान अभनपुर और कम्पोजिट मदिरा दुकान उरला में छापा मारा गया और कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है।

नाबालिग को भगाकर किया दुष्कर्म,आरोपी गिरफ्तार

राजनांदगांव | आरएनएस

जिले के पुलिस चौकी चिचोला थाना छुरिया क्षेत्र से एक नाबालिग बालिका को बहला -फुसलाकर भगाकर अनाचार करने वाले आरोपी को पुलिस ने सतारा महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है।

मिली जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक महोदय राजनांदगॉव, मोहित गर्ग व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव राहूल देव शर्मा , पुलिस अनुविभागीय अधिकारी आशीष कुंजाम के दिशा निर्देशन में जिले में चलाये जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के तहत बालक/बालिकाओं की दस्तयाब के तहत पुलिस चौकी प्रभारी भूषण चंद्राकर द्वारा पुलिस चौकी चिचोला थाना छुरिया जिला राजनांदगांव के अपराध क्रमांक 199/2024 धारा- 137(2),87,64(2)(ड) बी.एन.एस. 4,6 पाक्सो एक्ट में अपहृता नाबालिग बालिका के पता तलाश हेतु पुलिस चौकी चिचोला से टीम गठित कर दिनांक 20.07.2024 के सुबह 9 बजे अपने घर से बिना किसी को बताये निकली नाबालिक अपहृता के पता- तलाश क्रम में रवाना होकर ग्राम कोरेगांव थाना कोरेगांव जिला सतारा महाराष्ट्र से आरोपी भूपेन्द्र कर्श पिता शीतल कर्श उम्र 21 वर्श निवासी मलदी थाना कसडोल जिला बलौदा बाजार के कब्जे से नाबालिग अपहृता को बरामद किया गया एवं नाबालिग अपहृत को आरोपी द्वारा बहला- फुसलाकर भगाकर महाराष्ट्र ले जाकर लगातर जबरन शारीरिक संबंध बनाने से आरोपी को दिनांक 5.09.2024 को गिरफतार कर ज्युडिशियल रिमांड पर जेल दाखिल किया गया है।

नाला पार कर स्कूल पहुंचने की जोखिम उठा रहे बच्चे

- सेंदूरगढ़ क्षेत्र में बनी है परेशानियां, शिक्षा विभाग के अधिकारी बने अंजान

कोरबा | आरएनएस

पोड़ी उपरोड़ा ब्लाक के ग्राम सेंदुरगढ़ के स्कूली बच्चों को स्कुल जाने के लिए रास्ता ही नहीं। बच्चे जान जोखिम मे डालकर नाला लकड़ी का पटरा लगाकर प्रतिदिन पार करते हैं। बारिश में जब नाला मे पानी उफान पर होता है तब स्थिति असामान्य हो जाती है। लंबे समय से इस प्रकार की परिस्थितियों यहां बनी हुई है लेकिन इसका निराकरण करने के लिए अब तक कोई ठोस काम नहीं हो सका है। आदिवासी बाहुल्य विकासखंड में इस प्रकार की चुनौतियों के बारे में शिक्षा विभाग के अधिकारी अंजान बने हैं। सभी क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर सरकार विशेष काम कर रही है लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी है जहाँ शिक्षा तो है लेकिन सुविधा नहीं।

पोड़ी उपरोड़ा विकास खंड के सुदूरअंचल क्षेत्र सेंदुरगढ़ ग्राम पंचायत के बच्चे साशीन मिडिल स्कुल मे पढ़ाई करने जाते हैं लेकिन स्कुल जाने के लिए मार्ग नहीं है। बच्चे जान जोखिम मे डालकर नाला पार करते हुए स्कुल जाते हैं, तब हालात भयानक हो जाता है जब नाला का पानी उफान पर होता है मजबूरन बच्चे लकड़ी का पटरा डालकर नाला पार करते हैं। सेंदुरगढ़ से सासीन मिडिल स्कुल कि दुरी लगभग 5 किलोमीटर बताई जा रही है। टीचर मैकुल सिंह ने बताया कि स्कुल जाने के लिए पुल तो है लेकिन बच्चो को घना जंगल पार करना पड़ता है जहाँ भालू जैसे जंगली जानवरो का भी खतरा बना रहता है, इस वजह से बच्चे शार्ट-कट अपनाते हैं, जिसकी दुरी महज 300 मीटर ही है, जहाँ से बच्चे नाला पार करते हैं, उक्त स्थान पर प्रतिदिन ग्राम कि मितानिन लकड़ी का पटरा लगाकर बच्चों को पार कराती है। ग्रामीणों ने शासन प्रसासन से उक्त स्थानों पर ही पुल निर्माण कर उचित व्यवस्था करने कि बात कही जिससे बच्चों को 05 किलोमीटर घूमते हुए घने जंगल का रास्ता तय न करना पड़े।

एक पेड़ बस्तर के देवी-देवताओं के नाम थीम के तहत वृक्षारोपण अभियान का किया गया आयोजन

- पवित्र दशहरा रथ के लिए काटे गए पेड़ों की भरपाई के लिए रोपे गए 251 पौधे

रायपुर | आरएनएस

बस्तर दशहरा समिति की बैठक जगदलपुर जिला कलेक्टोरेट कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें बस्तर दशहरा पर्व को सभी मिलकर उत्साहपूर्वक मनाने तथा सभी व्यवस्थाओं को बेहतर ढंग से सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया।

बस्तर दशहरा समिति की बैठक के बाद पवित्र दशहरा रथ के निर्माण के लिए काटे गए पेड़ों की भरपाई के लिए एक विशेष पहल शुरू की गई। माचकोट रेंज के नकटी सेमरा वन क्षेत्र में कुल 251 पौधे लगाए गए, जिनमें से प्रत्येक पौधा एक पेड़ बस्तर के देवी देवताओं के नाम थीम के तहत बस्तर के देवताओं को समर्पित है। यह अनूठी थीम क्षेत्र के गहरे सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध को दर्शाती है।

यह अभियान बस्तर के दशहरा उत्सव की समृद्ध परंपराओं का सम्मान करते हुए पर्यावरण के संरक्षण के प्रति समुदाय की प्रतिबद्धता को परिलक्षित करता है। यह पहल पेड़ों को स्थानीय देवताओं के साथ जोडक़र पर्यावरण संरक्षण के साथ सांस्कृतिक विरासत के एकीकरण को भी दर्शाता है।

इस अवसर पर सांसद एवं बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष महेश कश्यप, विधायक चित्रकोट विनायक गोयल, जिला पंचायत अध्यक्ष वेदवती कश्यप, महापौर सफीरा साहू, जिला पंचायत उपाध्यक्ष मणिराम कश्यप, जनपद पंचायत अध्यक्ष टी मरकाम, माटी पुजारी बस्तर राजपरिवार के कमलचंद भंजदेव, कलेक्टर विजय दयाराम के., पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रकाश सर्वे, आयुक्त नगर पालिक निगम हरेश मंडावी, तहसीलदार एवं बस्तर दशहरा समिति के सचिव रुपेश मरकाम सहित मांझी, चालकी, मेम्बर, मेम्बरिन, पुजारी और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

SJU - Contact No. +91 9301915303
E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छतीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छतीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवका, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गर्वनिंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यका, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवे पर्यावारण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढिए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

एक मैसेज से अंधेरे में रात गुजार रहे ग्रामीणों को मिली रोशनी

- मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय बगिया बनी लोगों का आशा का केंद्र
- समस्या सुनते ही आधी रात की गई त्वरित निराकरण
- मुख्यमंत्री साय का जताया आभार

रायपुर | आरएनएस

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आम नागरिकों की समस्याओं को लेकर बेहद ही संवेदनशील है, यही वजह है कि लोक कल्याण के कार्यों में तेजी आई है तथा तत्काल समय पर समाधान भी मिल जाता है। आमजनों की समस्याओं के त्वरित निराकरण होने से लोगों में बहुत उत्साह है।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर सरकारी अमला आम आदमी को राहत पहुंचाने पूरी तरह से सक्रिय है। दिन हो या रात समय की परवाह किए बिना समस्या का त्वरित गति से निराकरण किया जाता है। बिजली की समस्या से जूझ रहे पत्थलगांव क्षेत्र के कुछ ग्रामीण इलाकों को आधी रात को भी मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में भेजे एक व्हाट्सऐप मैसेज से राहत मिल गई।

पत्थलगांव के सुरेशपुर, बहनाटांगर, सुसडेगा, मुड़ेकेला ग्रामीण क्षेत्र में बिजली समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों द्वारा गुरुवार की दरमियानी रात को मुख्यमंत्री कार्यालय में व्हाट्सअप मेसेज के जरिये बिजली गुल रहने सम्बन्धी समस्या की जानकारी दी गयी। कैंप कार्यालय के निर्देश पर आधी रात को बिजली कर्मचारियों द्वारा क्षेत्र में बिजली सुधार कार्य करवाकर बिजली को सुचारू रूप से चालु किया गया। बगिया स्थित सीएम कैम्प कार्यालय के माध्यम से एक व्हाट्सअप मेसेज पर समाधान मिलने पर नागरिकों ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार जताया है।

बगिया स्थित सीएम कैम्प कार्यालय में अब तक जशपुर सहित अन्य जिलों के बिजली व्यवस्था, राशन व्यवस्था, स्वास्थ्य लाभ, दिव्यांग व बुजुर्ग पेंशन संबंधित एव अन्य समस्त समस्याओं के समाधान की आस लेकर पहुंचने वाले हजारों लोगों को अब तक तत्काल राहत पहुंचाई जा चुकी है। गौरतलब है की मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य के नागरिकों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए ऐसी व्यवस्था बनाई है की आम नागरिक अपनी समस्या के समाधान के लिए सीएम कैम्प कार्यालय के टोल फ्री नंबर 07764-250061, 07764-250062, 07764-250068 पर घर बैठे कॉल कर सकते हैं। कॉल करने पर उनकी समस्या का समाधान के लिए तत्काल कार्यवाही की जाती है।